

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवामें,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, में अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-122ई/यू०पी०यू०एम०एस०/2017-18, दिनांक 09-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत मेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रु० 354.71 लाख की वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत मेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-111/2016/1831/71-2-16-एस-34/2006, दिनांक 26-08-2016 द्वारा रु० 17008.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 16,68,99,000 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त प्रायोजना हेतु अब तक कुल रु० 15803.69 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत मेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रु० 2,79,48,000 -/(रुपया दो करोड उन्नासी लाख अड़तालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी चि०वि०वि० की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी०एल०ए० में नहीं रखा जायेगा।
- 2) चि०वि०वि० यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- 3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा। चि०वि०वि० यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं हो रही है।
- 4) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व चि०वि०वि०/कार्यदायी संस्था का होगा।
- 5) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/चि0वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई-परियोजना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन एवं कार्य के फोटोग्राफ अपलोड किया जाय सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7) प्रायोजना हेतु स्वीकृत धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जाती है कि पूर्व स्वीकृत धनराशि से कराये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या में इंगित कमियों का समाधान तत्काल करा लिया जाए एवं कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा तथा कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में निर्माण कार्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति न हो।
- 4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रति हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक '4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-201-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)

प्रमुख सचिव।

संख्या:-22/2018/393(1)/71-4-2018 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।